



**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़**  
 अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002  
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-868/ 1390

रायपुर, दिनांक 01/07/2021

प्रति,

**प्रमुख सचिव**

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
 मंत्रालय, महानदी भवन  
 नवा रायपुर

**विषय:-**

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for diversion land for construct 3<sup>rd</sup> Railway line from Paniajob to Bortalao approximate 8 km, it covers Rajnandgaon district to be used for freight and passenger services. Proposed alignment of 3<sup>rd</sup> line is a detour alignment, area - 20.954 ha. - regarding.

**पंजीयन क्र. FP/CG/RAIL/48681/2020**

**संदर्भ:-**

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/ FC-II/IRO-05/2021-NGP/13 नागपुर दिनांक 23.02.2021
- मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 3087 दिनांक 17.05.2021

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वन मण्डल अन्तर्गत 3<sup>rd</sup> Railway line from Paniajob to Bortalao approximate 8 km हेतु प्रस्तावित रकबा 20.954 है. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्रेषित किया है, जो बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

बिंक्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
i	Legal status of the forest land shall remain unchanged;	वनभूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, से संबंधित वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-1)।
ii	<b>Compensatory afforestation</b> Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 50.00 ha. Double Degraded Forest Land of Compt. No. P-465, Range-South Bortalab, Division-Khairagarh at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Khairagarh Division shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	खैरागढ़ वनमण्डल अंतर्गत दक्षिण बोरतलाव परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक पी-465 के 50.000 हे. बिगड़े वनभूमि में प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण में 10% आरईटी प्रजातियों के साथ स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का मिश्रण लगाया जावेगा और किसी भी प्रजाति के मोनोकल्चर से बचाव को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य अंतिम चरण की स्वीकृति के पश्चात किया जावेगा। इस बात का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-2)।
iii	The cost of compensatory afforestation al the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित 50.000 हे. बिगड़े वनभूमि में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के संबंध में निर्धारित दर 726270/- रु. प्रति हे. के मान से 41.908 हे. के लिये

	<p>pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;</p> <p>30436523/- रु. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड नई दिल्ली के कैम्पा खाता में आवेदक संस्थान द्वारा वेब पोर्टल पर चालान जनरेट कर उक्त राशि जमा करा दी गई है, इससे संबंधित प्राप्ति अभिस्थीकृति संलग्न है (संलग्नक-3)।</p>
<p>iv</p> <p><b>NPV:</b></p> <p>a. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 20.954 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard;</p> <p>b. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;</p>	<p>a) प्रकरण में व्यपवर्तित की जाने वाली 20.954 हे. वन एवं राजस्व भूमि से संबंधित प्रत्याशा मूल्य की राशि दर 8.03 लाख रु. के मान से राशि 16826062/- रु. कार्पोरेशन बैंक लोधी रोड नई दिल्ली के कैम्पा खाता में आवेदक संस्थान द्वारा वेब पोर्टल पर चालान जनरेट कर उक्त राशि जमा करा दी गई है, इससे संबंधित प्राप्ति अभिस्थीकृति संलग्न है (संलग्नक-4)।</p> <p>b) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर भाननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के दर में परिवर्तन किया जाता है तो अंतर की मांग की गई राशि को आपके द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा करा जावेगा, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-5)।</p>
<p>v</p> <p>User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;</p>	<p>प्रकरण में प्रभावित हो रही वन एवं राजस्व वनभूमि में जिन खड़े वृक्षों का विदोहन कार्य वन विभाग द्वारा किया जाना है इस हेतु वन विभाग द्वारा विदोहन कार्य के लिये जो राशि की मांग की जावेगी, उसे आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराया जावेगा, से संबंधित वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-6)।</p>
<p>vi</p> <p>All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (<a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a>) ;</p>	<p>प्रकरण में ई-चालान के माध्यम से वन विभाग द्वारा मांग की गई क्षतिपूर्ति वनीकरण/प्रत्याशा मूल्य की राशि निर्धारित बैंक खाते में आवेदक संस्थान द्वारा जमा करा दी गई है, से संबंधित वचन पत्र अधिरोपित शर्त कंडिका iii एवं iv के साथ संलग्न है (संलग्नक-7)।</p>
<p>vii</p> <p>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector;</p>	<p>प्रकरण में आवेदित वनभूमि 16.372 हे. के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा एफ.आर.ए. 2006 के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी प्रकार प्रकरण में आवेदित राजस्व वनभूमि 4.582 हे. के लिये भी कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है इसकी प्रति मूल प्रस्ताव के साथ संलग्न की गई थी। जिसके आधार पर प्रथम चरण की स्थीकृति जारी की गई है। पुनः छाया प्रति संलग्न है (संलग्नक-8)।</p>

viii	The muck generated while construction of tunnel shall not be kept inside forest area and same shall be deposited in designated place outside the forest area;	निर्माण कार्य के दौरान वनभूमि से निकलने वाली कोई भी सामग्री को वनक्षेत्र की सीमा में नहीं रखा जावेगा, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-9)।
ix	User Agency in consultation with State Forest Department shall minimize the felling of trees and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, wherever feasible trees in outer RoW will be kept intact and report on same shall be submitted to IRO;	अधिरोपित शर्त के पालन में आवेदित भूमि की सीमा के अंदर आ रहे वृक्ष जिसका कि सीमांकन कार्य किया गया है उसे वन विभाग द्वारा ही अपने देखरेख में विदोहन किया जावेगा। इस हेतु विदोहन के लागत की राशि वन विभाग को उनके मांग के अनुरूप जमा कराई जावेगी। आर. ओ. डब्ल्यू सीमा के बाहर आ रहे वृक्षों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा और ना ही उसका विदोहन कार्य किया जावेगा से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-10)।
x	User Agency in consultation with State Forest Department shall prepare a site specific Wildlife Management Plan. The plan so prepared shall be approved by Chief Wildlife Warden and a copy of same shall be submitted to Integrated Regional Office prior to issuance of Stage-I approval;	वन्यजीव प्रबंधन योजना वन विभाग के परामर्श से आवेदक संस्थान द्वारा तैयार कराई जा रही है, इससे संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-11)।
xi	Wherever feasible, User Agency in consultation with State Forest Department shall construct new underpasses both in old and new lines in a synchronized way so that a continuous passage covering both lines is available for wildlife. For purpose of dimensions of under passes the manual of Wildlife Institute of India entitled "Eco-friendly Measures to Mitigate impacts of Linear Infrastructure on Wildlife, published in 2016" shall be consulted;	वन विभाग के परामर्श से कार्यवाही सुनिश्चित करने का पालन प्रतिवेदन हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-12)।
xii	Wherever feasible, State Forest Department shall carry out avenue plantation at the cost of User Agency. A scheme in this regard shall be prepared and submitted to Integrated Regional Office;	इस अधिरोपित शर्त हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-13)।
xiii	To improve the Forest/ Tree cover and to reduce pollution, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency shall develop a separate nursery at one or more places to raise at least 5,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous /local every year. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed road, User Agency shall voluntary distribute remaining 500/ of seedlings to	अधिरोपित शर्त हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-14)।

	them free of cost. A compliance report including species wise details of seedlings raised, location of plantation area and details of villagers whom seedlings have been distributed need to be prepared every six month and submitted to Regional Office of MoEF&CC.	
xiv	Speed regulating signage will be erected along the railway line at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas;	अधिरोपित शर्त हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-15)।
xv	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	अधिरोपित शर्त हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-16)।
xvi	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government:	प्रकरण में प्रभावित हो रही वन/ राजस्व भूमि के ले—आऊट प्लान में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जावेगा, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो उस स्थिति में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावेगी, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-17)।
xvii	No labour camp shall be established on the forest land;	वनभूमि में किसी भी प्रकार से श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावेगा से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-18)।
xviii	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	यदि प्रकरण में ईधन के लिये जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता निर्माण कार्य के दौरान होती है, उस स्थिति में जलाऊ लकड़ी का क्रय वन विभाग के डिपो से किया जावेगा (संलग्नक-19)।
xix	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer,	आवेदित वनभूमि की बाहरी सीमा में सीमांकन कार्य कराकर उसपर वन विभाग की देखरेख में निर्धारित दूरी पर पिल्लर लगाया जावेगा से संबंधित वचन पत्र संलग्न है, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-20)।
xx	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	परियोजना निर्माण के दौरान सामग्री के परिवहन हेतु वनक्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जावेगा, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-21)।
xxi	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	अधिरोपित शर्त हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-22)।
xxii	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	परियोजना के लिये आवेदित वन/ राजस्व वनभूमि का उपयोग विनिर्दिश्ट कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जावेगा, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-23)।

xxiii	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	आवेदित वन/ राजस्व भूमि को किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-24)।
xxiv	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	अधिरोपित समस्त शर्तों का अक्षरतः पालन किया जावेगा किसी भी अधिरोपित शर्त का उल्लंघन नहीं किया जावेगा। उल्लंघन किये जाने पर वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत जो कार्यवाही करता है वह मान्य होगा, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-25)।
xxv	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	प्रकरण में अधिरोपित शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त पृथक से राज्य सरकार अथवा उसके अधिनस्थ अधिकारियों तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित की जाती है तो उन शर्तों का अक्षरतः पालन किया जावेगा से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-26)।
xxvi	The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> );	समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित ई-पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा, से संबंधित आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है (संलग्नक-27)।

अधिरोपित शर्त क्रमांक-10 के अनुपालनार्थ वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवेदक संस्थान के कथन अनुसार “वन्य-जीव प्रबंधन योजना तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को अनुमोदन हेतु जमा कर दी गई है। उक्त योजना औपचारिक स्वीकृति के पूर्व अनुमोदन कराकर प्रस्तुत की जायेगी। इसके लिए जो भी राशि देय होगी वह आवेदक संस्थान को मान्य होगी” वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन मय अभिलेखों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:— संलग्नक 1 से 27 तक  
दो प्रतियों में

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 868/ 139/  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।  
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 23.02.2021 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाइन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है। किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नार्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे।
- वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी. डी. खाते से आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
- वन मंडलाधिकारी, खैरागढ़ वन मंडल, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
- कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, गौरी नगर रेलवे क्रासिंग, राजनांदगांव (छ.ग.)।

(सुनील मिश्रा)  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध /व. स. अ)  
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 01/07/2021

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध /व. स. अ)  
छत्तीसगढ़